

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर भीलवाडा

प्र०सं० :- 119/2021

उनवान

प्रभुलाल पुत्र मोहन लाल खटीक

बनाम

शिवराम पुत्र मोहन खटीक वगैरहा

तारीख हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुक्म की तामील
में जारी हुए


08-09-25

पत्रावली पेश हुई। तहसीलदार भीलवाडा ने पत्र क्रमांक भू०अ०/2025/1386 दिनांक 11.06.2025 से प्राथमिक डिक्री दिनांक 06.06.2024 की पालना में विभाजन प्रस्ताव प्रस्तुत किया। विभाजन प्रस्ताव को वादी अधिवक्ता ने स्वीकार किया। विभाजन प्रस्ताव के अन्तर्गत निम्नानुसार अन्तिम डिक्री जारी की जाती है :-

ग्राम-पांसल प० ह० पांसल भू०अ०नि० क्षेत्र पांसल

खातेदार का नाम	आराजी नम्बर	रकबा
प्रभुलाल पिता मोहनलाल खटीक सा०	173/2	0.5311 है०
देह खातेदार हाल निवासी कोटा	174/2	0.1265 है०
कुल किता 02 कुल रकबा 1.3356 हैक्टेयर		
शिवराम पिता मोहन लाल खटीक सा०	173/4	0.5769 है०
देह खातेदार	174/1	0.7587 है०
कुल किता 02 कुल रकबा 1.3356 हैक्टेयर		
शामलाती:- प्रभुलाल, शिवराम पिता मोहनलाल खटीक सा० देह खातेदार	173/3	0.601 है०
कुल किता 01 कुल रकबा 0.0601 हैक्टेयर रास्ते हेतु शामलाती रहेगी		

तहसीलदार भीलवाडा से प्राप्त रिपोर्ट, विभाजन प्रस्ताव व नक्शा ट्रेस अन्तिम डिक्री का पार्ट रहेगा। उपरोक्तानुसार अन्तिम डिक्री का राजस्व अभिलेख में तहसीलदार भीलवाडा अमल दरामद करें, निर्णय आज दिनांक 08-09-2025 को लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।


उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर
भीलवाडा